

कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैराबाद-सीतापुर।

विज्ञप्ति

विषिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 हेतु निर्गत - शासनादेश संख्या-1186/15-11-2008 दिनांक 14.11.2008

के प्रति प्रकाशित विज्ञप्ति के कम में प्राप्त आवेदन पत्रों के अधार पर अंकित विवरण के आधार पर जनपद सीतापुर हेतु निर्धारित 940 सीटों में से पुरुष वर्ग की 134 रिक्त सीटों के सापेक्ष जंचे हुये अभ्यर्थियों की पांच गुनी तथा महिला वर्ग में रिक्त 19 सीटों के सापेक्ष 19 अभ्यर्थियों की सूची निर्गत कर दी गयी है। **अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट गुणांक के वरीयता क्रम में जनपद की पंचम अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा, कम गुणांक के अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेख दिनांक 07-01-10 को वापस कर दिये जायेंगे।** सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी website- <http://sitapur-nic.in> पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रूपया 10/- के नान जूडिषियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण / विशेष आरक्षण / शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 30-12-09 से 31-12-09 के मध्य प्रातः 9.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

कट ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र पुरुष
	महिला		5 गुना पुरुष अभ्यर्थी		
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान	
सामान्य	253.29	237.94	249.18	245.38	211.99
अनुसूचित जाति	193.57	222.66	222.12	172.24	अनुपलब्ध
अनुसूचित जनजाति	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	सीटें पूर्ण	213.83	अनुपलब्ध
अन्य पिछड़ा वर्ग	सीटें पूर्ण	189.83	242.27	234.56	200.41

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों से भिन्न	
	महिला	पुरुष
विकलांग दृष्टिबाधित	228.74	240.34
विकलांग श्रवणह्रास	235.83	सीटें पूर्ण
विकलांग चलन किया	सीटें पूर्ण	243.25
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	263.50	190.87
भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)	-	248.99

- यह जंचे हुये अभ्यर्थियों की सूची मा0 उच्च न्यायालय / मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी। साथ ही रिशफलिंग एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों के निर्गमन संस्था से सत्यापन एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रदान करने वाली संस्था की मान्यता वर्ष की एन0सी0टी0ई0 से सत्यापन के अधीन होगी।
- शेष निर्देश पूर्ववत्/यथावत रहेंगे।

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
खैराबाद-सीतापुर